राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 326/2023

मदन सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी199317016687)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 20.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मु. कांसेल, सहायक निदेशक, कृषि (वि.) सांगानेर से मु. देवरी, सहायक निदेशक, कृषि (वि.) चितोड़गढ में किया गया है, इस प्रकार से अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। उनका मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक है और आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है। स्थानांतरण किये जाने में उक्त नियम 8(iii) के अनुसरण में पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना की गई है। अतः नियम 8(iii) का उल्लंघन होने से स्थानांतरण आदेश नियम विरूद्ध है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 1069/2022 अब्दुल रशीद खिलजी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 की

प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है, जो पूर्व में भी सांगानेर में पदस्थापित था। केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सर्व प्रथम तर्क राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिया गया है। इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 12.01.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। वर्तमान में राज्य सरकार मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प.11(1)मम/2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों के बटवारा व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री के नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायतीराज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार कृषि मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायतीराज (आंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार स्वीकृति पंचायती राज विभाग से लिये जाने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य में एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबियार बनाम राजस्थान राज्य में भी यह माना है कि जहां स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, वह स्थानान्तरण आदेश उचित है। एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन सक्षम स्तर पंचायतीराज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार कृषि मंत्री है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य बनाम रेखा कुमारी में भी मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना उचित माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रेखा कुमारी के मामले में कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया है कि मंत्री से अनुमोदित होने का अंकन आदेश में किया जावे, अपितु यह निर्णित किया है कि मंत्री से बाद में अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी उचित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो डीबी स्पेशन रिट संख्या 1069/2022 अब्दुल रशीद बनाम राज्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2022 की प्रति प्रस्तुत की है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने केवलमात्र स्थगन आदेश पारित किया है। उक्त रिट याचिका अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुई है। हमारे मत में स्थानान्तरण के मामले में सक्षम स्तर मंत्री है और वर्तमान आदेश में

सक्षम स्तर से अनुमोदन होना अंकित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत–ड में यह प्रावधान है कि न्यायालय अवधारित कर सकेगा कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपादित किये गए हैं। उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण को देखे तो आलोच्य आदेश में यह अंकित है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ऐसे में यह अवधारणा की जा सकती है, कि जो सक्षम स्तर से अनुमोदन किये जाने का इन्द्राज किया गया है वह मंत्री के स्तर पर अनुमोदन कराने के पश्चात् किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रकट नहीं होती है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। ऐसा कोई आधार हमारे सामने प्रकट नहीं किया गया है कि निर्जी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से स्थानांतरण किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

7. इसके अलावा यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2016 से पदस्थापित है एवं सांगानेर जयपुर में 2000 से पदस्थापित है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित अवधि के पश्चात् ही स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण किये जाने में कोई दुर्भावना भी प्रकट नहीं होती है।

8. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)